उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,जबलपुर

पृष्टांकन	क्मांक. Al 8712
	IV-12-14/2010 पेंशन (निर्देश)

जबलपुर, दिनांक. 17... / 12 / 2024

प्रतिलिपि :-

- (1.) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश(समस्त)......मध्यप्रदेश,
- (2.) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय(समस्त).....मध्यप्रदेश,
- (3.) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
- (4.) कोषालय अधिकारी......(समस्त).....मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी, कार्य विभाग, भोपाल, का पत्र फा. क्रमांक 4683/2024/21—ब(एक), भोपाल, दिनांक 28.11.2024

> (रवि शंकिष डिकाटे) ओ.एस.डी. (लेखा)





मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 4683 / 2024 / 21-ब(एक),

भोपाल, दिनांक २८/11/2024

प्रति.

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)

विषय:— मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के समान महगाई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 30/10/2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 13/03/2024 के अनुक्रम में दिनांक 01/07/2024 से 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम—11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 30/10/2024 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम—11(3) अनुसार दिनांक 01/07/2024 से पेंशन पर राहत 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

॥ नरेन्द्र प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर...

000/11

DA Orders of Judicial Officers

Registrar General High Court of M.P. Jabalpur

Reg. (Adm) on Town

OPINIM OF (DE) A-R. (According पृ. फा.क्रमांक ४६८३ / २०२४ / २१—ब(एक), प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक / 11 / 2024

- 1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
- 2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल
- 8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
- 13. रजिरट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
- 14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
- 15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
- 16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
- 17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
- 18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
- 19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
- 20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
- 21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
- 22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
- 23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
- 24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
- 25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
- 26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
- 27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
- 28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन—452010,
- 29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
- 30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
- 31. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
- 32. प्रबंधक, इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
- 33. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
- 34. प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
- 35. प्रबंधक,यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
- 36. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

निरंतर 3 पर...

- 37. प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
- 38. प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स, भोपाल
- 39. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
- 40. प्रशासकीय अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
- 41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.....
- 42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्यौगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ.पी.रघुवंशी) सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 42/02/2024-P&PW (D) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan Khan Market, New Delhi-110003 Date: - 30th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.07.2024-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/02/2024-P&PW(D) dated 13.03.2024 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of 50% to 53% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) w.e.f 01st July, 2024.

- 2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-
- (i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
- (ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
- (iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
- (iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
- (v) Pensioners who are in receipt of provisional pension
- (vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.
- 3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.
- 4. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of October, 2024.

Contd/....

- 5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and reemployed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.
- 6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.
- 7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.
- 8. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528- TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21 st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.
- 9. In so far as the pensioners/family pensioners of Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.
- 10. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/5/2024-E-II(B) dated 21.10.2024 and approval of C&AG vide ID Note No. भारत के नि.म.ले.प.यू.ओ.संख्या-339 स्टाफ हक (नियम)/AR/02-2020) dated 30.10.2024.

Hindi version will follow.

(Dhrubajyoti Sengupta)
Joint Secretary to the Government of India

- 1. All Ministries/Departments of the Government of India
- 2. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
- 3. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
- 4. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
- 5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.